न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर0ए0एस0

अपील संख्या :– 12 / 2010 (225 आरटीएक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2010 / 00082

उनवान :–

1. अवधेश कुमार आयु करीब 35 वर्ष पुत्र श्री रघुवीरप्रसाद कौम ब्राहम्ण निवासी ग्राम ककरैठ तहसील सदर जिला आगरा।

.....अपीलाण्ट।

बनाम

1. अमित कुमार } पुत्रगण विनोद शर्मा जाति ब्राहम्ण नि0 कौलारी नाबालिग सरपरस्ती मॉ स्वयं
2. केतन कुमार } कमलेश पत्नी श्री विनोद शर्मा।
3. उपेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शास्त नगर, सैपऊ।
4. विनोद शर्मा पुत्र श्री नत्थीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कौलरी, सैपऊ।
5. मु0 नथिया वेवा रामबाबू
6. श्रीनिवास
7. कैलाशी — पुत्रगण रामबाबू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ।
8. सुरेश
9. अशोक
10. श्यामसुन्दर
11. मीरा देवी वेवा रज्जो
12. गोविन्दराम पुत्र नत्थीलाल } जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कौलारी।
13. रामेश्वर प्रसाद पुत्र नत्थीलाल }
14. प्रेम पुत्री नत्थीलाल पत्नी श्री शक्तिस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कठूमरी भारा तहसील खैरागढ जिला आगरा।
15. रामवती पुत्री नत्थीलाल पत्नी श्री सूर्यनारायण शर्मा निवासी ग्राम भारा तहसील किरावली जिला आगरा।
16. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तसीमों जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तसीमों।
17. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.07.2010 न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर प्रकरण उनवानी अमित कुमार बनाम उपेन्द्र कुमार संख्या 88 / 2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 16.10.2018

1. यह अपील इस न्यायालय में न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.07.2010 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद, वास्ते स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बॅटवारा काश्त, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कोलारी के अभिलिखित खातेदार कृषक वादीगण के बाबा व प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 14 के पूर्व पुरूष स्व0 नत्थीलाल पुत्र किशोरी लाल जाति ब्राहम्ण थे, जो जीवन पर्यन्त विवादित कृषि भूमि पर एकान्तिक रूप से बिना किसी विध्न बाधा के शान्तीपूर्वक उपयोग–उपभोग करते रहें। जिनकी मृत्यु उपरान्त अपने उत्तराधिकारीगण के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 14 को छोडा है। परन्तु वादीगण के बाबा स्व0 नत्थीलाल के निधन के उपरान्त विवादित आराजी का राजस्व अभिलेखो में विरासतन नामान्तकरण स्वीकार करने में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा साजिसन राजस्व कर्मचारियों से साज कर वादीगण का नाम अंकित नहीं कराया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में वादीगण के 1/9 भाग को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कर पृथक से खाता कायम करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया। अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 13 हाजिर अदालत हुआ तथा अपनी ओर से जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद तनकी संख्या 03 पर वाद पत्र वादीगण न्यायालय क्षेत्राधिकार में पोषणीय नहीं होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश करते हुए, अपने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार था तथा बतौर प्रतिवादी संख्या 15 के अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकार था। अपीलाण्ट ने वाद प्राप्ति नोटिस अपनी ओर से जबाव दावा व काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी का विभाजन सहखातेदारान की सहमति में हो चुका है तथा विभाजन में अपीलाण्ट/काउन्टर क्लेमेंट के हिस्से में खसरा नम्बर 60 रकवा 02 बीघा 06 विस्वा सम्पूर्ण भाग तथा खसरा नम्बर 61 रकवा 01 बीघा 11 में से 1/2 हिस्सा उत्तरी दिशा में आया था

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा काउन्टर क्लेमेंट के हिस्से में जरिये काउन्टर क्लेम विवादित आराजी में से उक्त खसरा नम्बर 60, 61 उपरोक्तानुसार लगाये जावे तथा विकल्प में यह निवेदन किया था कि यदि काउन्टर क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता है तो विवादित आराजी में खसरा नम्बर 747 को भी सम्मिलित कर विभाजन किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर ना करते हुए वाद पत्र के साथ अपीलाण्ट का काउन्टर क्लेम बिना किसी निर्णय व सुनवाई के दाखिल दफ्तर कर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के काउन्टर क्लेम का किसी प्रकार अवलोकन नहीं किया एव ंना ही सुनवाई की एवं ना ही अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का ही अवसर दिया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध तथा काबिल खारिजी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट का काउन्टर क्लेम पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट का काउन्टर क्लेम राजस्व भूमि के विभाजन के संबंध में था तथा खातेदारी की भूमि के विभाजन का अधीनस्थ न्यायायल को पूर्णतः क्षेत्राधिकार प्राप्त था। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआटी 2010(ा) पेज 1058, 2005(ा) पेज 367 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाण्ट के काउन्टर क्लेम को मैरिट पर निर्णीत किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि विक्रय की दिनांक को विवादित आराजी विक्रेता के नाम थी और यदि विवादित आराजी को संयुक्त परिवार की भूमि भी माना जाये, तो भी कर्ता की हैसियत से खातेदार को विक्रय का अधिकार है। अपीलाण्ट ने विक्रय की दिनांक तक अपने हक को क्लेम नहीं किया है। ऐसी दशा में बिना वयनामा निरस्त कराये वाद पोषणीय नहीं है। पंजीकृत वयनामा को निरस्त कराये जाने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ना होने के कारण पोषणीय नहीं माना जाकर, वापस किया है, जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(जगदीश नारायण मथुरिया)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर